



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-99

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261271 दिनांक 12/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ravindra Sharma S/o S/O,Brahma nand Sharma	श्रीमती अन्जु गक्खड पत्नी श्री ओमप्रकाश गक्खड	241E	71.09 SQ. YARD	Cooperative	LAJPAT NAGAR Sector/Block-	Name Transfer	शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लाजपत नगर के भूखण्ड संख्या 241ए पूर्वी भाग क्षेत्रफल 71.09 वर्ग गज का उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक डी-6644 दिनांक 29.11.2022 को श्रीमती अन्जु गक्खड पत्नी श्री ओमप्रकाश गक्खड के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमती अन्जु गक्खड द्वारा उपविभाजित भूखण्ड संख्या 241ए पूर्वी भाग क्षेत्रफल 71.09 वर्ग गज का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2023 के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा श्री अशोक कुमार मूलचन्दानी पुत्र श्री मेघराज मूलचन्दानी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार मूलचन्दानी द्वारा उपविभाजित भूखण्ड संख्या 241ए पूर्वी भाग क्षेत्रफल 71.09 वर्ग गज का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2025 के द्वारा श्री रविन्द्र नाथ शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मानन्द शर्मा को कर दिया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ravindra Sharma S/o S/O, Brahmanand Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004